न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–236/2011

कृष्णा प्रसाद चौहान.....वादी

बनाम

उमेश प्रसाद चौहान एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
02.01.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0–08, 08क, 09 एवं 10 की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 13.12.2022 के आदेश हेतु नियत है। प्रतिवादी सं0–08, 08क, 09 एवं 10 की ओर से दिनांक 13.12.2022 को आदेश 39 नियम 1, 2 एवं दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अतंर्गत निषेधाज्ञा आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी सं0–08, 08क, 09 एवं 10 के द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 13.12.2022 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा वादपत्र के मद न0–02 में दर्ज एराजी के बंटवारा हेतु लाया गया है तथा वादपत्र के पैरा न0–08 में कहा गया है कि बंटवारा तलब एराजी में वादी एवं प्रतिवादी सं0–08 ता 11 का हिस्सा संयुक्त रूप से 1/2 होता है तथा वादी एवं प्रतिवादी सं0–08 ता 11 के बीच बंटवारें में वादी का हिस्सा 1/5 होता है। वाद के दौरान वादी द्वारा प्रतिवादी सं0–08 ता 10 के हिस्से एवं जोत आबाद वाली भूमि में से बंटवारा तलब एराजी का 04 कट्ठा 18 धुर भूमि निबंधित बयनामा दस्तावेज सं0–8847 दिनांक 20.07.2017 द्वारा श्रीमति दुर्गेश देवी को बयनामा किया गया है। प्रतिवादीगणों को उक्त बयनामा की जानकारी अक्टुबर 2022 में हुई तथा रजिस्ट्री कचहरी शिकारपुर में पता लगाने पर उक्त बयनामा की खोज करने पर दिनांक 01.11.2022 को बयनामा दस्तावेज की सच्ची प्रतिलिपि प्राप्त हुई। अन्य मूल्यवान एराजी के संदर्भ में भी स्थानांतरण विलेख निष्पादित करने की बात कही जा रही है साथ ही अन्य प्रतिवादीगण द्वारा भी बंटवारा तलब एराजी के संदर्भ में स्थानांतरण विलेख निष्पादित करने की बात कही गयी है।	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–236/2011

कृष्णा प्रसाद चौहान.....वादी

बनाम

उमेश प्रसाद चौहान एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 02.01.2024	प्रथम दृष्टया वाद एवं सुविधा की तुला प्रतिवादी सं0–08 ता 10 की ओर है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि बंटवारा वाद के निष्पादन तक पक्षकारों को बंटवारा तलब एराजी के संदर्भ में किसी प्रकार का स्थानांतरण विलेख निष्पादन करने तथा भूमि की प्रकृति में परिवर्तन करने से रोका जाय। वादी की ओर से प्रतिवादी सं0–08, 08क, 09 एवं 10 के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 16.02.2023 को दाखिल कर आवेदन को कानून एवं तथ्य दोनों दृष्टिकोण से खारिज योग्य बताया गया तथा कहा गया कि प्रतिवादी सं0–08 ता 11 द्वारा अपने बयान तहरीरी के माध्यम से स्वीकार किया है कि वर्तमान वाद की विवादित भूमि संयुक्त है, जिसका बंटवारा नही हुआ है। वादी हृदय रोग एवं सुगर तथा अन्य बिमारियों से ग्रसित है। प्रतिवादी सं0–08 ता 11 के सहमति एवं राय से वादी द्वारा वर्ष 2017 में अपने बिमारियों के समुचित ईलाज एवं पुत्री की शादी हेतु विवादित भूमि का अंश विक्रय किया था। प्रतिवादी सं0–08 राजेन्द्र प्रसाद चौहान की मृत्यु होने के पश्चात उनके वारिसान उनके स्थान पर पक्षकार बनाये गये। राजेन्द्र प्रसाद जब तक जीवित थे, तब तक उनके द्वारा उक्त विक्रय की गई भूमि का विरोध नही किया गया क्योंकि उन्हीं की समहति एवं राय से भूमि विक्रय किया गया। प्रस्तुत आवेदन प्रतिवादी सं0–08, 08क, 09 एवं 10 की तरफ से दाखिल किया गया है परंतु आवेदन पर प्रतिवादी सं0–08क का ही हस्ताक्षर है। अतः आवेदन खारिज योग्य है। प्रतिवादी सं0–01 ता 07 की ओर से प्रतिवादी सं0–08, 08क, 09 एवं 10 के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 15.04.2023 को दाखिल कर आवेदन का विरोध किया गया तथा कहा गया कि निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 13.12.2022 चार व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया गया है लेकिन आवेदन पर केवल अजय कुमार का ही हस्ताक्षर है। इसलिए	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–236/2011

कृष्णा प्रसाद चौहान.....वादी

बनाम

उमेश प्रसाद चौहान एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 02.01.2024	इस आवेदन पर विचार नही किया जा सकता है। अतः आवेदन खारिज योग्य है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा वादपत्र के मद न0–02 में वर्णित बंटवारा हेतु विषयगत भूमि के 1/10 हिस्से की डिक्री अपने पक्ष में एवं अन्य अनुतोष हेतु दाखिल किया है। किसी भी निषेधाज्ञा आवेदन पर आदेश करने से पूर्व यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया वाद किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन किस ओर है? एवं यदि आवेदक का निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार नही किया जाता है तो इससे आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी अथवा नही तथा पक्षकारों का आचरण कैसा है? प्रतिवादी सं0–08, 08क, 09 एवं 10 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं0–08 ता 11 की संयुक्त हिस्से वाली भूमि है तथा आपसी सुविधा एवं राजामंदी से कुछ–कुछ जमीन को लेकर उभय पक्षों की संयुक्त जोत आबाद में है। वादी के अनुसार भी वादग्रस्त भूमि उभय पक्षों की संयुक्त जोत आबाद वाली भूमि है अर्थात वादग्रस्त भूमि पर उभय पक्षों का संयुक्त दखल कब्जा है। वादी के अनुसार वर्ष 2017 में जिस भूमि का विक्रय किया गया था, वह प्रतिवादीगणों की राजामंदी से किया गया था तथा जब तक प्रतिवादी सं0–08 मृतक राजेन्द्र प्रसाद चौहान जीवित रहे तब तक विक्रय की गयी भूमि का कोई विरोध नही किया गया। उनके मरने के बाद उनके वारिसानों की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिया गया है। वादग्रस्त भूमि उभय पक्षों के संयुक्त हक एवं दखल कब्जें वाली भूमि है। अतः प्रथम दृष्टया वाद प्रतिवादी सं0–08, 08क, 09 एवं 10 की ओर जाता हुआ प्रतीत नही होता है तथा अभिलेख पर कोई ऐसा साक्ष्य उपलब्ध नही है कि वादी अथवा प्रतिवादीगण भूमि विक्रय	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–236/2011

कृष्णा प्रसाद चौहान.....वादी

बनाम

उमेश प्रसाद चौहान एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 02.01.2024	करने की फिराक में हो। सुविधा की तुला भी प्रतिवादी सं0–08, 08क, 09 एवं 10 की ओर जाती हुई प्रतीत नही होती है। निषेधाज्ञा आवेदन पर मात्र एक प्रतिवादी अजय कुमार का हस्ताक्षर है। जबकि निषेधाज्ञा आवेदन चार प्रतिवादीगणों की ओर से दाखिल किया गया है। प्रतिवादी सं0–08, 08क, 09 एवं 10 को प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार किये जाने से अपूर्णीय क्षति होना भी प्रतीत नही होती है। अतः प्रतिवादी सं0–08, 08क, 09 एवं 10 का निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 13.12.2022 को खारिज किया जाता है। उक्त आदेश में किया गया विनिश्चयन वाद के अंतिम न्याय निर्णयन को प्रभावित नही करेगा। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वाद के शीघ्र निष्पादन हेतु न्यायालय का सहयोग करें। वाद दिनांक 02.02.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	